तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.57/2021** श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम कैलाश कुमार अग्रवाल व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो [illegible] हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.6.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) कैलाश कुमार अग्रवाल पुत्र किशनलाल अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– बडी ढुढंई, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्रीराम एन्टरप्राईजेज, बडी ढुंढाई, नीलकण्ठ रोड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) गोपाल सिंह पुत्र श्री चौथाराम, निवासी– 43 सिंधी कॉलोनी, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर,, फर्म गोपाल किराणा स्टोर, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 3 (तीन) सम्पत राज प्रकाश चन्द, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म शाह सम्पत राज प्रकाश चन्द, डी–3, मण्डोर मण्डी, जोधपुर एवं प्रतिवादी संख्याः 4/1 (सुशील कुमार पुत्र नानक चन्द, निवासी– एच.एन. 189 वार्ड नं. 7 घरौंदा, घरौदा, करनाल, हरियाणा), प्रतिवादी संख्या 4/2 (संजय कुमार पुत्र नानक चन्द, निवासी– 2182–पी,, सेक्टर–7 अर्बन एस्टेट, करनाल रुरल पोर्ट 1, करनाल, हरियाणा), प्रतिवादी संख्या 4/3 (अमित जैन पुत्र नानक चन्द जैन, 926 सेक्टर, 13 अर्बन एस्टेट, करनाल, हरियाणा), प्रतिवादी संख्या 4/4 (सविता जैन पत्नि प्रमोद कुमार,, निवासी– 2162 सेक्टर 7, अर्बन एस्टेट, करनाल, हरियाणा), प्रतिवादी संख्या 4/5 (रेखा जैन पत्नि सुरेश कुमार जैन, निवासी– 128, हाथी पुरा मोहिला, वार्ड 4 घरौदा, घरौदा, करनाल, हरियाण) व प्रतिवादी संख्या–6 (नीरु मित्तल), प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/6 निदेशकगण, निर्माता फर्म Veer Overseas Ltd., G.T. Road, Gharaunda, Karnal (Hariyana) के अधिवक्ता श्री देवीसिंह राणावत उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.2020 को फर्म श्रीराम एन्टरप्राईजेज, बडी ढुंढाई, नीलकण्ड रोड, माउन्ट रोड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी कैलाश कुमार अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1294 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./ 1000/ Act/2020/998 दिनांक 28.12.2020 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध [illegible] प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध [illegible]। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज [illegible] विधिवत नोटिस जारी कर तामील करवाये [illegible] पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई तिथि 28.1.2022 को प्रतिवादी कै[illegible] ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रां. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.57/2021 श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम कैलाश कुमार अग्रवाल व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	कुमार अग्रवाल एवं प्रतिवादी गोपालसिंह के पुत्र जितेन्द्र कुमार ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 व 4/1 से 4/6 की ओर से अधिवक्ता श्री देवी सिंह राणावत उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं जवाब के साथ खाद्य पदार्थ चावल (VR Royal ब्राण्ड) का लेबल भी प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 30.5.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित हुए। प्रकरण में दिनांक 30.5.2022 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4/1 से 4/6 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 व 4/1 से 4/6 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या–3 की फर्म शाह सम्पतराज प्रकाशचन्द द्वारा प्रतिवादी गोपाल सिंह की फर्म गोपाल किराणा स्टोर को VR Royal ब्राण्ड के 10–10 किलोग्राम के पैकड बेग विक्रय किये गये है एवं निर्माता फर्म Veer Overseas Ltd. ने भी प्रतिवादी संख्या–3 की फर्म शाह सम्पतराज प्रकाशचन्द को चावल (VR Royal ब्राण्ड) के 10–10 किलोग्राम के पैक्ड बेग विक्रय किये है, जबकि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.2020 को प्रतिवादी कैलाश कुमार अग्रवाल की फर्म श्री राम एन्टरप्राईजेज में प्रतिवादी कैलाश कुमार अग्रवाल से खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) के 25 किलोग्राम के सील्ड पैक्ड बैग को खोलकर बासमी चावल (रॉयल ब्राण्ड) नमूना जांच हेतु खरीद किये थे, जिसकी निर्माता फर्म SRM Foods Chheartha Amritsar है जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट से साबित है। इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस बासमती चावल का नमूना जांच हेतु खरीदा था, वह Veer Overseas Ltd., G.T. Road, Gharaunda, Karnal (Hariyana) के VR Royal ब्राण्ड के चावल नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सही रुप से अनुसंधान किये बिना ही प्रतिवादी संख्या–3 एवं प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/6 व इनकी भागीदारी फर्म Veer Overseas Ltd., G.T. Road, Gharaunda, Karnal (Hariyana) को इस प्रकरण में गलत रुप से पक्षकार बनाकर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या–3 एवं प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/6 व इनकी भागीदारी फर्म [illegible] Overseas Ltd., G.T. Road, Gharaunda, Karna[illegible] के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन [illegible] प्रतिवादी संख्या–3 ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रा० जिला न्यायाधीश सिरोही (राज०)

प्रति. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

F.S.S.Act Case No.57/2021

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम कैलाश कुमार अग्रवाल व अन्य

एवं प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/6 व इनकी भागीदारी फर्म Veer Overseas Ltd., G.T. Road, Gharaunda, Karnal (Hariyana) को दोषमुक्त किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.11.2020 को सायं 5.00 पी.एम. पर फर्म श्री राम एन्टरप्राईजेज, बडी ढुंढाई, नीलकण्ड रोड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से कैलाश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशनलाल अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– बडी ढुंढाई, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चावल (रॉयल ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता कैलाश कुमार अग्रवाल को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान के अन्दर फर्श पर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चावल (रॉयल ब्राण्ड) के 2 सील्ड पैक्ड बैग (प्रत्येक 25 किलोग्राम) में से बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) के 25 किलोग्राम के एक पैक्ड बैग को खोलकर बैग में मौजूद चावलों को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एक रुप किये हुए बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम चावल (रॉयल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे एवं खाली भिगोने में खरीदा एवं चावल (रॉयल ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 240/– (रुपये दो सौ चालीस मात्र) विक्रेता कैलाश कुमार अग्रवाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1294, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चावल (रॉयल ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा [illegible] गवाह को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक के जार दि[illegible] शुदा चावल (रॉयल ब्राण्ड) को चारों खा[illegible] भरा एवं जारों को ढक्कन से एयरटाइट बन्द किया [illegible]क नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। खाद्य प[illegible] चावल (रॉयल ब्राण्ड) का मूल लेबल एक नमूना जार के साथ र[illegible]र टेप से चिपकाया और चारों

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.57/2021 श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम कैलाश कुमार अग्रवाल व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 01.12.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 26.11.2020 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री राम एन्टरप्राईज, बडी ढुंढाई, नीलकण्ठ रोड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी कैलाश कुमार अग्रवाल से खाद्य पदार्थ बासमी चावल (रॉयल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1294 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1000/Act/2020/998 दिनांक 28.12.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ बासमी चावल (रॉयल ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1294 की प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1000/Act/2020/998 दिनांक 28.12.2020 में खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) की निर्माता फर्म का नाम SRM Foods Chheartha Amritsar अंकित है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व [illegible] 3 [illegible] प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कैलाश कुमार अग्रवाल की [illegible] श्री राम एन्टरप्राईजेज द्वारा खाद्य पदार्थ बासमती चावल ([illegible] ब्राण्ड) के 25–25

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

पात. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.57/2021 श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम कैलाश कुमार अग्रवाल व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

किलोग्राम के सील्ड पैकड बैग को फर्म गोपाल किराणा स्टोर, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला– सिरोही से जरिये बिल क्रय किये गये थे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर उपलब्ध प्रतिवादी सम्पतराज प्रकाशचन्द की फर्म शाह सम्पतराज प्रकाशचन्द, डी–.3, मेन मण्डी, मण्डोर रोड, जोधपुर के बिल नम्बर A/005915 दिनांक 22.10.2020 की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि फर्म शाह सम्पतराज प्रकाशचन्द द्वारा प्रतिवादी गोपाल सिंह की फर्म गोपाल किराणा स्टोर, सदर बाजार, आबूरोड़ को चावल (VR Royal ब्राण्ड) के 10–10 किलोग्राम के सील्ड पैकड बैग विक्रय किये गये थे तथा निर्माता फर्म Veer Overseas Ltd., G.T. Road, Gharaunda, Karnal (Hariyana) द्वारा भी प्रतिवादी सम्पतराज प्रकाशचन्द की फर्म शाह सम्पतराज प्रकाशचन्द, डी–3, मेन मण्डी, मण्डोर रोड, जोधपुर को बिल इनवोईस नम्बर OS-366 दिनांक 03.10.2020 के द्वारा जो चावल विक्रय किये गये थे वह चावल (VR Royal ब्राण्ड) थे। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1294 की प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1000/Act/2020/998 दिनांक 28.12.2020 में खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) की निर्माता फर्म का नाम SRM Foods Chheartha Amritsar अंकित किया है एवं प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/6 की ओर से प्रस्तुत खाद्य पदार्थ बासमती चावल (VR Royal Brand) के पैकिंग लेबल में खाद्य पदार्थ (VR Royal Brand) की निर्माता फर्म का नाम Veer Overseas Ltd., G.T. Road, Gharaunda, Karnal (Hariyana) अंकित है। जबकि विचारणीय प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी कैलाश कुमार अग्रवाल की फर्म श्री राम एन्टरप्राईजेज में प्रतिवादी कैलाश कुमार अग्रवाल से जिस खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु क्रय किया था उसकी निर्माता फर्म SRM Foods Chheartha Amritsar है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) की निर्माता फर्म SRM Foods Chheartha Amritsar को इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाकर गलत रुप से प्रतिवादी संख्या–3 (सम्पतराज प्रकाशचन्द) एवं प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/6 व इनकी भागीदारी फर्म Veer Overseas Ltd., G.T. Road, Gharaunda, Karnal (Hariyana) को पक्षकार [illegible] निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। [illegible] प्रति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार इस प्रकरण में [illegible] संख्या 4/1 से 4/6 व [illegible] G.T. Road, Gharaunda, Karnal (Ha[illegible]) को [illegible] किया उचित प्रतीत होता है।

चूंकि प्रकरण में यह भी स[illegible] है कि प्रतिवादी कैलाश कुमार अग्रवाल एवं प्रतिवादी गोपाल सिंह की फर्म गोपाल किराणा स्टोर,

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ... सिरोही (राज०)
प्रा०. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.57/2021 श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम कैलाश कुमार अग्रवाल व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

सदर बाजार, आबूरोड़ द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या– 3 (सम्पतराज प्रकाशचन्द) एवं प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/6 तथा फर्म Overseas Ltd., G.T. Road, Gharaunda, Karnal (Hariyana) को दोषमुक्त किया जाता है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ बासमती चावल (रॉयल ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी संख्या–1 (एक) कैलाश कुमार अग्रवाल पुत्र किशनलाल अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– बडी ढुढंई, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्रीराम एन्टरप्राईजेज, बडी ढुंढाई, नीलकण्ठ रोड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,000/– (रुपये एक हजार मात्र) का एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) गोपाल सिंह पुत्र श्री चौथाराम, निवासी– 43 सिंधी कॉलोनी, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर,, फर्म गोपाल किराणा स्टोर, सदर बाजार, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी कैलाश कुमार अग्रवाल एवं प्रतिवादी गोपाल सिंह को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 13.7.2022 को पेश हो।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(न्याय निर्णयन अधिकारी)
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:26 IST
Reason: SelfAttested